न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 2/2005 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. किशोरीलाल पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

2. ग्यारसालाल पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

3. होशियार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

4. कंवरसिंह पुत्र परिक्षत पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

5. वीरेन्द्र पुत्र परीक्षत पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

6. मु0 गुलाब बेवाह परीक्षत पुत्र भगवान सिंह जाति यादव

7. मु0 सन्तरा बेवाह सूरजभान पुत्रवधु भगवान सिंह जाति यादव

8. अनूपसिंह पुत्र सूरजभान सिंह जाति यादव निवासी ग्राम बावडी तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

:---वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर

:––प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक जिलाधीश, बहरोड दिनांक 19.11.2004

---

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री दाताराम यादव

2. राजकीय अभिभाषक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 25.10.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 390/1999 बाबत इस्तकरारहक बजर्ये दुरूस्ती इन्द्राज बंदोबस्त एवं हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया आराजी खसरा नम्बर साबिक 429 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम बावडी तहसील बहरोड है, जिसके हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में नये नम्बर 783, 784, 800, 801, 792/846, 746, 782, 802 बनाये गये हैं । इनमें खसरा नम्बर हाल 783, 784, 782/846, 800, 801 कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 27 बिस्वा विवादित है । साबिक खसरा नम्बर 429 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा के राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी 2035 के इन्द्राज के मुताबिक जगन पुत्र भोला 1/3, भगवान पुत्र रामधन 1/3, कन्हीराम पुत्र चन्दर 1/3 भाग के संयुक्त रूप से खातेदार अंकित है । चूंकि उक्त आराजीयात का खातेदारान ने बाहमी बंटवारा करके जगन को दूसरी जमीन दे दी और भगवान व कन्हीराम ने हाल खसरा नम्बर 783, 784, 800, 801, 782/846, 746, 782, 802 कुल किता 8 कुल रकबा 5 –01 हेक्टेयर का विभाजन इस प्रकार कर लिया कि हाल खसरा नम्बर 783, 784, 800, 801, 782/846 किता 5 कुल रकबा 2–50 हेक्टेयर वादीगण के हक में देकर कब्जा करा दिया और शेष खसरा नम्बर 746, 782, 802 कुल किता 3 कुल रकबा 2–51 हेक्टेयर कन्हीराम पुत्र चन्दर को देकर उसका कब्जा करा दिया और खाता भी पृथक पृथक करा लिया । बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक रेकार्ड की अनदेखी करते हुये तथा पुराने रिकार्ड के मुताबिक नक्शा ट्रेस में रकबा का इन्द्राज न करके मनमाने रूप से नक्शा ट्रेस बना दिया और मिसल हकियत में भी वादीगण की आराजीयात का रकबा 23 एयर कागजातमाल में कम अंकित कर दिया । नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नम्बर 783 व 782/846 के तरफ उत्तर की मेड, जो पूरब से पश्चिम एकदम सीधी थी, जिसे नक्शा ट्रेस साबिक में साबिक खसरा नम्बर 429 व 393 के मध्य दिखाया गया है,

25/10

उसे हाल बंदोबस्त में बनाये नक्शा ट्रेस में, जो कि खसरा नम्बर हाल 743 व 782/846, 783 के मध्य खींची गई है, उसे टेडी कर दी है, जबकि यह मेड हकियत व नक्शा ट्रेस वादीगण के हक हकूकों के विरुद्ध बातिल व बेअसर है और दुरूस्त होने योग्य है । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील वादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादीगण अपीलांटस ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया और तर्क दिये कि दुरूस्ती एवं घोषणा के वाद की कोई मियाद नहीं होती है । तहत अदालत ने गलत तौर पर वाद पत्र को मियाद बाहर माना है । विवादित आराजी हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसका हाल बंदोबस्त में 23 एयर रकबा हमारे खाते में कम दर्ज कर दिया गया और साथ ही हाल नक्शा ट्रेस सम्वत 2042 की आकृति साबिक नक्शा के मुकाबले बदल दी गई हैट । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । वह साबिक रेकार्ड को केवल रिपीट कर सकता है, बदल नहीं सकता है । हमने हमारे वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है, फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 राज्य सरकार प्रतिवादी रेस्पो0 की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि बंदोबस्त विभाग को रेकार्ड एवं मौका अनुसार इन्द्राज करने का अधिकार है । साबिक रेकार्ड में जितना रकबा इनके खाते में था और जैसा नक्शा था, उसकी अनुरूप हाल बंदोबस्त में भी इन्द्राज किये गये हैं और नक्शा ट्रेस बनाया गया है । अपील सारहीन है, अतः खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि उसकी खातेदारी का रकबा साबिक के मुकाबले हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में 23 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की आकृति भी बदल दी गई है । परन्तु वादीगण अपीलांटस ने यह नहीं बताया कि उनका कम हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है और अगर किसी निजी खातेदार की भूमि में शामिल किया गया है तो उस खातेदार को वाद पत्र में पक्षकार क्यों

25/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

नहीं बनाया । अगर सरकार को पक्षकार बनाकर सरकार के खिलाफ अनुतोष चाहता है तो यह भी नहीं बताया कि किस सरकारी खसरा नम्बर में उनका रकबा शामिल कर दिया गया है । सैटिलमैंट ऑपरेशन पूर्ण होने पर क्लॉस करने से पूर्व खातेदारों को पर्चा लगान वितरित किया जाता है और उसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाती है । वादीगण अपीलांटस ने उस समय अपनी आपत्तियां प्रस्तुत क्यों नहीं की । रिकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार एवं मौका अनुसार हाल नक्शा ट्रेस बनाया गया है । अपीलांटस वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

25/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर